न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 125/2010 (उदयपुर डिक्री)

देवीलाल पिता चम्पालाल जी ब्राहमण, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. छोगालाल पिता नाथूलाल जी ब्राहमण मृतक के बजाय :–

1/1.कन्हैयालाल पिता छोगालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर मृतक के बजाय :–

1/1/1.नवीन पिता कन्हैयालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/1/2.चन्द्रशेखर पिता कन्हैयालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/1/3.श्रीमती भंवरी बाई उर्फ गीता बेवा कन्हैयालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2.दुर्गाशंकर पिता छोगालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3.वैजनाथ पिता छोगालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4.प्यारेलाल पिता छोगालाल जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/5.श्रीमती दुर्गा बाई पुत्री छोगालाल जी पत्नी लज्जाशंकर जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/6.श्रीमती किशोरी बाई बेवा छोगालाल जी पत्नी लज्जाशंकर जी नागदा, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. जमनाशंकर पिता तुलसीराम जी ब्राहमण, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. हीरालाल उर्फ कानू पिता जमनाशंकर जी ब्राहमण, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. श्रीमती रजमा बाई पत्नी जमनाशंकर जी ब्राहमण, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5. कौशल पिता जमनाशंकर जी ब्राहमण, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6. लच्छीराम पिता नारायणलाल जी तेली, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. भंवरलाल पिता हक्का जी तेली, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. पृथ्वीराज पिता हीरालाल जी तेली, निवासी बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 08.06.2010 प्र.सं. 179/04

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री भगवानलाल पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———:::———

निर्णय दिनांक

11–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा व प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बूझड़ा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 31 रकबा 5.6350 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी के खातेदारी आधिपत्य की होकर वादी का शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतएवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा प्रतिदावा प्रस्तुत कर बताया कि वादी एवं प्रतिवादी की भूमि मिली हुई होकर आस–पास आ गयी है। उक्त भूमि से वादी एवं प्रतिवादीगण पिछले 100 वर्षो से अपने कुंए एवं खेतों में आते–जाते हैं। पानी पिलाई हेतु धोरे कदीम से बने हुए हैं, जिससे खेतों की पिलाई होती है, जिसे रोकने का वादी को कोई

अधिकार नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे तथा वादी को निर्देश प्रदान किया जावे कि वे वादी के खेतों में बनी हुई पालियों, पानी के धोरे का उपयोग एवं खेतों की पिलाई व आने–जाने व हल, बैल इत्यादि लाने–ले जाने में प्रतिवादीगण को नहीं रोंके एवं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रतिवादीगण के प्रतिवाद का वादी द्वारा जवाबुल जवाल प्रस्तुत कर बताया कि प्रतिवादीगण का वादी की जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा प्रतिवादीगण अपनी जमीन पर फसलें बोते काटते हैं तथा उनके अलग रास्ते बने हुए हैं। वादी ने प्रतिवादी के हक में कोई लेखपत्र निष्पादित नहीं किया है, बल्कि प्रतिवादी ने वादी के हक में लेखपत्र निष्पादित किया है। प्रतिवादी के रास्ते धोरे आदि वादी की जमीन से नहीं हैं। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद, प्रतिवादीगण क जवाबदावा एवं जवाबुल जवाब के आधार पर कुल 3 वाद बिन्दु बनाये एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर वाद बिन्दु अनुसार विवेचन करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा साथ ही वादी को भी प्रतिवादीगण को उनके खेतों पर आने–जाने के लिए बने रास्ते व पिलाई के लिए बने हुए धोरे बन्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 08–06–2010 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–06–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि वाद मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का था इसमें सुखाधिकार तय नहीं किये जा सकते

तथा धोरे व रास्ते का सुखाधिकार तय करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही है, राजस्व न्यायालय मात्र धारा 251 टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने शहादत सबूत पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री से यह आदेश ''वादीगण प्रतिवादीगण का उनके खेतों में आने जाने के लिए बने रास्ते व पिलाई के लिऐ बने धोरों को बन्द नहीं करें'' हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 801, आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 324 एवं आर.आर.डी. 1996 पेज 109 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें ए.आई.आर. 1963 राजस्थान पेज 161, ए.आई.आर. 1992 हिमाचल प्रदेश पेज 6, ए.आई.आर. 1994 हिमाचल प्रदेश पेज 56 एवं आर.आर.डी. 2000 पेज 1 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित कराया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व पेश शुदा न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार रास्ते से संबंधित सुखाचार का अधिकार केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही मंजूर किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय द्वारा रास्ते संबंधित विवाद का निस्तारण धारा 251 के आवेदन पर ही किया जा सकता है, स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में इस पर विचार नहीं किया जा सकता, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ते बाबत् निषेधाज्ञा जारी की गयी है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–04–2010 अपास्त की जाती है तथा

पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रास्ते के बिन्दु पर पुनः विचार कर विधि के आलोक में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 वाडा, देबारी नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।